संख्या- 47/2015/वे0आ0-2-696/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
होमगार्डस विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 25 अगस्त, 2015

विषय- होमगार्ड विभाग के हवलदार प्रशिक्षक एवं कनिष्ठ प्रशिक्षक के पदों की वेतन विसंगति तथा ब्लाक आर्गनाइजर के पद पर हवलदार प्रशिक्षक के पदों से पदोन्नति का कोटा पूर्व की भॉति 50 प्रतिशत रखे जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड विभाग के हवलदार प्रशिक्षक एवं कनिष्ठ प्रशिक्षक के पदों की वेतन विसंगति तथा ब्लाक आर्गनाइजर के पद पर हवलदार प्रशिक्षक के पदों से पदोन्नति का कोटा पूर्व की भॉति 50 प्रतिशत रखे जाने से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं:--

(1) होमगार्डस विभाग के हवलदार प्रशिक्षक के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड-1, रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/- को यथावत् बनाये रखा जाये।

(2) कनिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर वेतन बैण्ड-1, रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/- विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत किया जाये।

(3) ब्लाक आर्गनाइजर के पद पर हवलदार प्रशिक्षक के पदों से पदोन्नति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

का कोटा जो पूर्व में 50 प्रतिशत था, को वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, को यथावत् 50 प्रतिशत रखे जाने से सम्बन्धित प्रकरण पर विचारोपरान्त यह अभिमत बना कि विचाराधीन प्रकरण को स्थगित रखा जाये।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-3 में लिये गये निर्णय से अवगत होना चाहें तथा उप प्रस्तर-1 एवं 2 के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-47/2015/वे0आ0-2-696(1)/दस-8(मु0स0स0)/2008टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।